

प्रेस विज्ञाप्ति

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन संख्या-93/98 के द्वारा राज्य स्वास्थ्य सेवा संबंध के असैनिक सहायक चिकित्सक (मूल कोटि के पद पर) के नियमित नियुक्ति के संबंध में।

राज्य स्वास्थ्य सेवा संबंध के असैनिक सहायक चिकित्सक (मूल कोटि के पद पर) नियुक्ति के संबंध में उत्तराल 424 अध्यार्थियों को सरकार ने नियुक्त करने का निर्णय लिया है और अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण में 29.09.2007 एवं टाईम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 30.09.2007 को हुआ। जिसके द्वारा दिनांक 08.10.2007 से दिनांक 11.10.2007 तक नियारित तिथि को विभागीय कमिटी के समक्ष उपरिषित होने का निर्देश दिया गया था। पुनः प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर उक्त अवधि में विभागीय कमिटी के समक्ष अनुपरिषित चिकित्सकों को कमिटी के समक्ष दिनांक 06.11.2007 एवं 07.11.2007 को उपरिषित होने का निर्देश दिया गया था।


2— उक्त नियारित अवधि में अनुपरिषित कुल 195 (एक सौ पन्नानबे) चिकित्सकों के लिए 28.11.2007 को विभागीय कमिटी के समक्ष उपरिषित होने का अनिमानीक प्रदान किया जा रहा है।

3— प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना रियल न्या संविवालय, विकास भवन के समागमर में दिनांक 28.11.2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से किया जाएगा। उपरोक्त नियारित तिथि को जो अध्यार्थी उपरिषित नहीं होने वाले उनके बारे में माना जायेगा कि वे नियुक्त हेतु इच्छुक नहीं हैं। उपरिकाल प्रतिक्षा सूची से चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

4— उपरोक्त कामजातों के जावोपरान्त जिला में पदस्थापन की अधिसूचना जारी की जाएगी। आदेशित पदस्थापन के जिला में योगदान की तिथि से ही इनकी नियुक्ति नामी जाएगी।

5— संबंधित प्रेस विज्ञाप्ति, अधिसूचना, शपथ पत्र, सत्यापन प्रपत्र एवं सूची वेबसाईट www.shsbihar.org पर भी देखा जा सकता है, जिसे डाउन लोड (Down load) करके व्यक्ति में लाया जा सकता है।

6— इसके साथ अनुपरिषित कुल 195 (एक सौ पन्नानबे) चिकित्सकों की भी सूची प्रकाशित की जा रही है।


(प्रमाण कमार)
उप सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक -2 / एम.111/05-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि - महानिदेशक, सूचना एवं जनसार्वक विभाग, बिहार, पटना को (पाँच प्रतियों
में) सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन 195 (एक सौ पचासवें) विकेट्सको के
सूची के साथ राज्य के एक छिन्नी यथा दैनिक जागरण या हिन्दुरत्नान एवं एक ऊंचेजी लोकप्रिय
दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया में एवं एक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्र में
लगातार दो दिनों तक अविलम्ब प्रकाशित कराने वी कृपा की जाय एवं प्रकाशित प्रेस कत्तरन/
इन्टर्गेशन विभाग को उपलब्ध कराने वी कृपा की जाय ।

उप सचिव
राजारक्ष्य विभाग, पटना